न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम सांवलाराम S/o धनाजी-चौधरी नि० नरसाणा

मुकदमा नं. 58/2017

धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय दिनांक 30.01.2018

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल सांवलाराम S/o धनाजी उपस्थित, पटवारी हल्का नरसाणा की रिपोर्टानुसार मौजा नरसाणा के खसरा नं. 184 रकबा 0.08 किस्म गै० मु० गोचर भुमि पर संवत् 2074 मे कब्जा रूप मे अतिक्रमण करने पर गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता मे कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया। अतः राज0 भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर 5.ₒ रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.08 हैक्टर की दर 0.40 रूपये का पचास गुणा से 20/- रूपये अक्षरे बीस रूपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.01.2018 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर

(श्री पुखाराम मीणा)

नायब तहसीलदार,जालोर